न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुखराम खोखर
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
84 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	23.10.2020	18.12.2020

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री शिवराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोकुल ज्युस सेन्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी कस्तूरबा कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स गोकुल ज्युस सेन्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0
3–श्री जीवन गुप्ता पुत्र श्री मुकुट बिहारी गुप्ता निवासी 1 / 249 मालवीय नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स दीप्ति एन्टरप्राईजेज 1 / 249 मालवीय नगर जयपुर राज0
4– मैसर्स दीप्ति एन्टरप्राईजेज 1 / 249 मालवीय नगर जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: **दिनांक 18.12.2020**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.07.2020 को समय 3.39 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गोकुल ज्युस सेन्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री शिवराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोकुल ज्युस सेन्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी कस्तूरबा कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand) जिसके बैच नं. एच ए 0071 व पैकिंग की दिनांक जुलाई 2020 अंकित थी, रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री अनिल कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता अनिल कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे 2.25–2.25 किलो ग्राम के 2 पैकेट जो फ्रीजर मे **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand)रखे हुये मे से एक पैकेट का चयन कर उसको खोलकर उसमे 1200 ग्राम को इलेक्ट्रोनिक बाट मापक से चार साफ व सूखी प्लास्टिक बोतलो 300–300 ग्राम सीधे ही तुलवाकर भरा एंव वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री अनिल कुमार जैन को रू0 90/–अक्षरे नब्बे रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand) 1200 ग्राम को इलेक्ट्रोनिक बाट मापक से चार साफ व सूखी प्लास्टिक बोतलो 300–300 ग्राम भर उक्त शिशियो मे बतोर परिरक्षक 40 प्रतिशत विलयन वाली फार्मेलीन की 24–24 बूंदे प्रत्येक शीशी मे डालकर प्रत्येक शीशी के ढक्कन को एयर टाईट बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2489 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2489 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. अनिल कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री अनिल कुमार जैन ने मौके पर **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand)बतोर वारन्टी मैसर्स दीप्ति एन्टरप्राईजेज 1/249 मालवीय नगर जयपुर राज0 का बिल/इन्वॉइस नं. 17 दिनांक 02.07.2020 की छायाप्रति प्रति पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 [illegible] तियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना [illegible] नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति क

1149

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2553 दिनांक 05.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/867/एक्ट/2020/945 दिनांक 20.07.2020 अनुसार अनिल कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (a) (i) 3(1) (zf) (b) (11) 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मीडियम फैट फोजर्न डेजर्ट हार्मोनी ब्राण्ड** (Medium Fat Frozen Desert Harmony Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री शिवराज जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोकुल ज्युस सेन्टर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय के सामने जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी कस्तूरबा कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज0 पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री जीवन गुप्ता पुत्र श्री मुकुल [illegible] निवासी 1/249 मालवीय नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स दीप्ति एन्टरप्राईजेज [illegible] मालवीय नगर जयपुर राज0 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 18.12.2020 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.04.07 16:28:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner